

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.- 6/7 योजना के अन्तर्गत तामिया-जुन्नारदेव मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 5.70 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 8.85 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 24.05.2022

स्थान: भोपाल

 24/5/22

(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)